

FORM NO. III

फर्द अहकाम

अज अदालत _____ SDO (नियम 26) _____
 मुकाम _____ खंड (1) 2018/19
 किस्म मुकदमा _____ 88 _____
 बर्नाम _____ डा. राय लाल कर्मा
 नं. _____ 78-18 मनु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

30/5/18

राजस्व लोक अदालत अगियान न्याय आपक द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट फिरतपुरा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट के तहत पेश किया कि केलादा मि. मु. (9 लाख), रूप लाल (5 लाख), अरुण लाल (5 लाख), सु. लाल (5 लाख) (वाली) 216 पिन्क 9 लाख 7 सप. 18 प. 06 में नवल के 9 लाख केलादा के 5 लाख के 5 लाख पेश किए गए।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एव प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा चैनपुरियां की मा. नं. (वाली) 216 पिन्क 9 लाख 7 सप. 18 प. 06 में नवल के 9 लाख केलादा के 5 लाख के 5 लाख पेश किए जाते हैं।

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

30/5/18

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत

उपरखण्ड अधिष्ठात्री पद

पदेन

बडीसादडी / जयपुर

